इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2024—माघ 6, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्रमांक–मप्रविनिआ/2023/180 विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) के साथ पठित धारा 43(1),धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (ञ) के अंतर्गत प्रदत्त किये गये समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी–1(II), वर्ष 2021}, जिसे एतद् पश्चात् **"मूल संहिता"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:**

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (द्वितीय संशोधन) {एआरजी–1 (II) (ii), वर्ष 2024},**कहलाएगी।

1.2. यह संहिता मध्यप्रदेश शासनके शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. **मूल संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :**

2.1 मूलसंहिता के खण्ड 7.1 के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पश्चात्, यदि, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन बिलिंग चक्रों में उच्चतम मांग स्वीकृत भार से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्वीकृत भार स्वतः समस्त ऐसी घटनाओं के उच्चतम मांग के न्यूनतम स्तर पर पुनरीक्षित हो जाएगा जब बिलिंग चक्रों में अभिलेखित उच्चतम मांग स्वीकृत भार से अधिक हो गयी हो। पुनरीक्षित स्वीकृत भार आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से प्रभावशील हो जाएगा बशर्ते ऐसा किया जाना विद्यमान आपूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत बढ़े हुए स्वीकृत भार के बारे में तकनीकी रूप से सेवाकृत किया जाना संभव हो :

परन्तु आगे यह और कि उपभोक्ता को यथा संशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार बढ़े हुए भार हेतु यथाप्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, अनुपूरक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा :

परन्तु आगे यह और भी कि उच्चतम मांग में कमी के प्रकरण में स्वीकृत भार का पुनरीक्षण इस संहिता में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करना होगा।"

2.2 मूल संहिता के खण्ड 7.2 में संशोधन :

मूल संहिता के खण्ड 7.2 के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पश्चात्, यदि, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन बिलिंग चक्रों में अभिलेखित उच्चतम मांग संविदा मांग से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में संविदा मांग स्वतः समस्त ऐसी घटनाओं के उच्चतम मांग के न्यूनतम स्तर पर पुनरीक्षित हो जाएगी जब बिलिंग चक्रों में उच्चतम मांग संविदा मांग से अधिक हो गयी हो। पुनरीक्षित संविदा मांग आगामी वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से प्रभावशील हो जाएगी बशर्ते ऐसा किया जाना विद्यमान आपूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत बढ़े हुए स्वीकृत भार के बारे में तकनीकी रूप से सेवाकृत किया जाना संभव हो :

परन्तु आगे यह और कि उपभोक्ता को यथा संशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार बढ़े हुए भार हेतु यथाप्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा एक अनुपूरक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा :

परन्तु आगे यह और भी कि उच्चतम मांग की कमी के प्रकरण में संविदा मांग का पुनरीक्षण इस संहिता में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करना होगा।"

2.3 मूल संहिता के खण्ड 7.26 में संशोधन :

मूल संहिता के खण्ड 7.26 के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

" परन्तु यह कि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पश्चात्, स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना तिथि से पूर्व की अवधि हेतु स्मार्ट मापयन्त्र में अभिलेखित की गई उच्चतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगा। :

परन्तु आगे यह और कि किसी बिलिंग चक्र में यदि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलेखितअधिकतम मांग, यथास्थिति, स्वीकृत भार/संविदा मांग से अधिक हो जाए तो उक्त बिलिंग चक्र हेतु देयक की गणना, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, वास्तविक अभिलेखित उच्चतम मांग की गणना के आधार पर प्रचलित खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश में दर्शाई गई रीति के अनुसार की जाएगी तथा उपभोक्ता को गणना के इस परिवर्तन के संबंध में सूचना लघु सन्देश सेवा (SMS) अथवा मोबाइल अनुप्रयोग (Mobile Application) के माध्यम से सम्प्रेषित की जाएगी।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, आयोग सचिव

Bhopal, the 17th January 2024

No. MPERC / 2023/180 In exercise of the powers conferred under Section 181(1) read with Section 43(1), Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48 (b), Section 50, Section 56, Section 181(2)(w), Section 181(2)(x) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and Section 9(j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 (No. RG- 1(II) of 2021) herein after referred to as the 'Principal Code' namely: -

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLYCODE, 2021

1. Short Title and Commencement-

1.1. This Code shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 (Second Amendment) [ARG-1(II)(ii) of 2023]".**

1.2. This Code shall come into force from the date of it's publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

1.3 This Code shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

2. Amendment to clause 7.1 of the Principal Code:

Following Proviso shall be inserted after Clause 7.1 of the Principal Code, namely:

" Provided that after the installation of smart meter, in case, recorded maximum demand exceeds the sanctioned load, for at least three billing cycles during a financial year, the sanctioned load shall stand automatically revised to the lowest of the maximum demand of all the instances when the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load in billing cycles. The revised sanctioned load shall be effective from the 1st day of 1st billing cycle of the next financial year provided it is technically feasible to cater enhanced sanctioned load from existing supply arrangement.

Provided further that the consumer shall pay the charges as applicable for enhancement of load specified in MPERC (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-II) Regulations 2022, as amended and execute a supplementary agreement, wherever applicable.

Provided also that in case of reduction of maximum demand, the revision of

sanctioned load shall be done as specified in this Code."

3. Amendment to clause 7.2 of the Principal Code:

Following Proviso shall be inserted after Clause 7.2 of the Principal Code, namely:

" Provided that after the installation of smart meter, in case, recorded maximum demand exceeds the contract demand, for at least three billing cycles during a financial year, the contract demand shall stand automatically revised to the lowest of the maximum demand of all the instances when the recorded maximum demand has exceeded the contract demand in billing cycles. The revised contract demand shall be effective from the 1st day of 1st billing cycle of the next financial year provided it is technically feasible to cater enhanced contract demand from existing supply arrangement.

Provided further that the consumer shall pay the charges as applicable for enhancement of load specified in MPERC (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-II) Regulations 2022, as amended and execute a supplementary agreement.

Provided also that in case of reduction of maximum demand, the revision of contract demand shall be done as specified in this Code."

4. Amendment to clause 7.26 of the Principal Code:

Following Proviso shall be inserted after Clause 7.26 of the Principal Code, namely:

" Provided that after the installation of smart meter, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date of smart meter.

Provided further that in case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the sanctioned load/Contract demand, as the case may be, in a billing cycle, the bill, for that billing cycle, shall be calculated based on the actual recorded maximum demand, wherever applicable, and consumer shall be informed of this change in calculation through short message service (SMS) or mobile application."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024

क्रमांक– मप्रविनिआ/2024/220 विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 127 सहपठित धारा 181 की उपधारा (2)की कंडिका (य ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2004 (जी– 15 वर्ष, 2004), जिसे एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2004 में द्वितीय संशोधन :

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा निर्वाचन :

(1) यह विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2004 **(द्वितीय संशोधन) {ए जी–15(ii), वर्ष 2024}** कहलायेंगे।

(2) यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के "मध्यप्रदेश गजट" में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन :–

2.1 मूल विनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद v के स्थान पर निम्न अनुच्छेद v स्थापित किया जाए,अर्थात् :–

" v विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127(2)के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आंकलित राशि रू. ..... की आधी (1/2) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रं. ..... दि. ..... द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान किया जा चुका है। भुगतान का प्रमाण संलग्न है।"

2.2 अनुसूची के अनुसंलग्नकों की सूची के सरल क्रं. 3 के स्थान पर निम्न सरल क्रं. 3 स्थापित किया जाये, अर्थात् :–

" 3. आंकलित राशि की आधी (1/2) राशि को जमा करने का संदर्भ"।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 19th January 2024

No.220/MPERC/2024.InexerciseofpowersunderSection127readwithClause(zo)of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003,(36 of 2003) the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the makes the following Regulations to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations 2004[G-15 of 2004]herein after referred to as "**Principal Regulations**" namely: -

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (PROCEDURE FOR FILING APPEAL BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY) REGULATION 2004

1. Shorttitle, commencement, and interpretation

(1) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations 2004(Second Amendment) [AG-15(ii) of 2023]".

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Schedule appended with the Principal Regulations is amended as under: -

2.1 Paragraph "V" of the schedule is substituted as under: -

"V. The appellant has paid half of the assessed amount Rs. _____ by way of Demand Draft bearing No._____ dated_____ to the licensee as per Section 127(2) of the Electricity Act, 2003. Proof of payment is enclosed."

2.2 Serial No. 3 under List of Enclosures to the schedule is substituted as under: -

"3. Reference of deposition of half of the assessed amount."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्रमांक 233/मप्रविनिआ/2024 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 9 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी–45, वर्ष 2023), जिसे एतद् पश्चात **"मूल विनियम"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 में प्रथम संशोधन

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी–45, वर्ष 2023) दिनांक 17–03–2023 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि इन विनियमों को भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 30–06–2023 तथा 01–09–2023 को अधिसूचित विद्युत संशोधन नियम, 2003 से संरेखित किये जाने हेतु इन विनियमों में कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, अतएव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 {जी–45, वर्ष 2023) में ये संशोधन अधिसूचित किये जा रहे हैं।

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (प्रथम संशोधन) {जी–45(i), वर्ष 2024)"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के उद्देश्य में संशोधन

मूल विनियमों के उद्देश्य के स्थान पर निम्न उद्देश्य स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"इन विनियमों का उद्देश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (Captive generating Plants) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) (Captive user(s)) की अद्यतन स्थिति के सत्यापन की क्रियाविधि को निर्दिष्ट करना है जब उपभोक्ता राज्य के भीतर अपने आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों से विद्युत का आयात करते हैं तथा, जब या तो आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र अथवा

आबद्ध उपयोगकर्ता पालन की जाने वाली शर्तो की पूर्ति नहीं करते, ऐसी स्थिति के परिणामों को निर्दिष्ट करना है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

3.1 विनियम 4.1 में उप–खण्ड (च) के पश्चात् उप–खण्ड (च–1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(च–1) "नियंत्रक कम्पनी (Holding Company)" का वही अर्थ होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) की धारा 2 के खण्ड 46 में परिभाषित किया गया है ;"

3.2 विनियम 4.1 में उप–खण्ड (ज) के पश्चात् उप–खण्ड (ज–1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(झ–1) "सहायक कम्पनी (Subsidiary Company)" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड 87 में परिभाषित किया गया है ;"

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 6.4 के उप–खण्ड (ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (ग) स्थापित किया जाए :

"(ग) विभिन्न प्रकार के आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता का प्रकार	मापदण्ड
एक	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध खपत के 51% से कम न होगी : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जा सकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हो द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।
दो	साझेदारी फर्म / सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership Firm/Limited Liability Parthership)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध खपत के 51% से कम न होगी : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा

		संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से. की जा सकेगी :
तीन	व्यक्तियों का संघ (Association of Persons-AoP)	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) में उनके शेयर अनुपात में, 10% से अनाधिक घटत--बढ़त (Variation) के अधीन, आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) की विद्युत खपत आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी ; परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जाकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हों द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।
चार	सहकारिता समिति (Cooperative Society)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक उत्पादित शुद्ध विद्युत के से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेंगे : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जा सकेगी :
पांच	कम्पनी/साझेदारी/फर्म /समिति दायित्व भागीदारी/व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User{(s}) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक उत्पादित शुद्ध विद्युत के से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेगा/करेंगे : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जाकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हों द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 6.4 के अन्तर्गत उप–खण्ड (घ) के अधीन तालिका की पंक्ति (ROW) (तीन) को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, आयोग सचिव.

Bhopal, the 22th January 2024

No. 233 /MPERC/2024. In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181, read with Section 9 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulation Commission (Verification of Captive Generating Plants and Captive Users) Regulations, 2023 (G-45 of 2023) hereinafter referred to as the **"PrincipalRegulations"**namely: -

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (VERIFICATION OF CAPTIVE GENERATING PLANTS AND CAPTIVE USERS) REGULATIONS, 2023.

PREAMBLE

WhereasMadhya Pradesh Electricity Regulatory Commission had notifiedMadhya Pradesh Electricity Regulation Commission (Verification of Captive Generating Plants and Captive Users) Regulations, 2023 (G-45 of 2023) on 17.03.2023 and whereas certain changes are necessary in these Regulations to align them with the Electricity Amendment Rules 2023 notified by the Ministry of Power, Government of India on 30.06.2023 and 01.09.2023, therefore these amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Captive Generating Plants and Captive Users) Regulations, 2023 (G-45 of 2023) are being notified.

1. ShortTitleand Commencement

1.1 TheseRegulationsshallbecalledthe" **MadhyaPradeshElectricityRegulatory Commission(VerificationofCaptiveGeneratingPlantsandCaptiveUsers) Regulations, 2023, First Amendment (G-45 (i) of 2024)".**

1.2TheseRegulationsshallcomeintoforcefromthedateoftheirnotificationintheOfficial Gazette.

2. Amendment to Objective of the Principal Regulations:

Objective of the Principal Regulations shall be substituted by following objective, namely: -

"The objective of these Regulations is to specify the methodology for verification of status of Captive Generating plants and Captive User(s) when consumers import power from theirCaptive generator locatedwithin the State and consequences of not meeting the conditions of either Captive Generator or Captive User."

3. Amendment to regulation 4of the Principal Regulations:

3.1 Sub-clause (g1) shall be inserted after sub-clause (g) in Regulation 4.1, namely: -

(g1) **"Holding Company"** shall have the same meaning as defined in clause (46) of section 2 of the "Companies Act,2013(18 of 2013)" as amended from time to time;"

3.2 Sub-clause (i1) shall be inserted after sub-clause (i)in Regulation 4.1, namely: -

(i1) **"Subsidiary Company"** shall have the same meaning as defined in clause 87 of section 2 of the "Companies Act, 2013" as amended from time to time;"

4. Amendment to Regulation 6of the Principal Regulations:

4.1 Sub clause c) of the Regulation 6.4 ofthe Principal Regulation shall be substituted by the following:

"c) VerificationcriterionforvarioustypesofCaptiveUsersshallbeas follows:

SI.No	TypeofCaptive User(s)	Criterion
i	SingleCaptiveUser	TheCaptiveUsershallconsumenotlessthan 51%ofthenetelectricitygeneratedbythe CGPon annualbasis: Provided that the consumption of electricity by the captive user may beeither directly or through Energy Storage System: Provided further that the consumption by a subsidiary company or holding company, of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive user.
ii	Partnershipfirm/Limited Liability Partnership	TheCaptiveUsersshallconsumenotlessthan 51%ofthenetelectricitygeneratedbythe CGPon annualbasis: Provided that the consumption of electricity by the captive users may be either directly or through Energy Storage System.
iii	Associationof Persons	The Captive Users shall consume not less than 51%ofthenetelectricitygeneratedbythe CGP on annual basis for captive use in proportiontotheirshareintheCGPwithinthe variationnotexceeding10%: Provided that the consumption of electricity by the captive users may be either directly or through Energy Storage System: Provided further that the consumption by a subsidiary company or holding company, of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive users.

iv	Co-operativeSociety	The Captive Usersshall collectively consumenot less than 51% of the net electricitygenerated by the CGP on annual basis: Provided that the consumption of electricity by the captive users may be either directly or through Energy Storage System.
V	CaptiveUserofaCGPsetupbyaSpecialPurpose Vehicle formedby Company / Partnership Firm/ Limited Liability Partnership/Association of persons	The Captive User(s) shall consume not less than 51%ofthenetelectricitygeneratedbythe CGP on annual basis: Provided that the consumption of electricity by the captive user(s) may be either directly or through Energy Storage System: Provided further that the consumption by a subsidiary company or holding company, of a company which is an existing captive user shall also be admissible as captive consumption by the captive user(s).

4.2 Row (iii) of Table provided under sub clause (d) of Regulation 6.4 of the Principal Regulation shall be deleted.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.